संख्या 21023/11/2023-पीपी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
[पुलिस-II प्रभाग]
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 110001

दिनांक 22 मई, 2025.

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और महानिदेशक (पी)
3. निदेशक-आईबी/ सीबीआई/ एसवीपीएनपीए/ एसपीजी/ एनईपीए/ एनआईसीएफएस/ सीएफएसएल/ डीसीपीडब्ल्यू/ एनटीआरओ
4. डी. एस. जी.-बी. एस. एफ./सी. आर. पी. एफ./आई. टी. बी. पी./सी. आई. एस. एफ./एन. एस. जी./आर. पी. एफ./बी. पी. आर. एंड डी./एस. एस. बी./एन. सी. बी./एन. आई. ए./असम राइफल्स

विषय: SPC, Brindisi, Italy में लोक व्यवस्था सलाहकार, P-4 के पद के लिए रिक्तियों की घोषणा|

महोदया /महोदय

भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र से एक पत्र भेजा है जिसमें निम्नलिखित नौकरी रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु सक्रिय सेवा में पुलिस अधिकारियों के नामांकन की मांग की गई है:

S.No	Post Title and level, Job opening number	Organization and duty Station	No of posts
1	Public Order Adviser, P-4	DEPARTMENT OF PEACE OPERATIONS	1

अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएँ हैं। विज्ञापित पद के लिए, मौखिक और लिखित अंग्रेजी में धाराप्रवाहता आवश्यक है। फ्रेंच में प्रवाह वांछनीय है।

2. उपरोक्त पदों के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड/योग्यता के साथ नौकरी का विवरण संदर्भ के लिए इस पत्र के साथ संलग्न/संलग्न है। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिकारी सावधानीपूर्वक केवल उन्हीं उम्मीदवारों/अधिकारियों को प्रस्तुत करें जो संलग्न नौकरी विवरण में उल्लिखित पद के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अनुलग्नक-1 में दी गई आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. उपर्युक्त पदों के लिए पुलिस सेवा में सक्रिय, पी-4 स्तर के लिए एसपी/डीआईजी रैंक के पात्र और इच्छुक अधिकारियों का नामांकन, अनुलग्नक-I और II में उल्लिखित सभी प्रकार से विधिवत हस्ताक्षरित और पूर्ण अपेक्षित दस्तावेजों के साथ 27 जुलाई 2025 तक उचित माध्यम से इस मंत्रालय को भेजा जा सकता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों/संगठनों से सतर्कता मंजूरी और संवर्ग मंजूरी (सभी अधिकारियों के लिए) के बिना नामांकनों को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। ए. जी. एम. यू. टी. संवर्ग के अधिकारियों के मामले में केवल गृह विभाग (राज्य)/संगठन/केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग के प्रमुख की मंजूरी के माध्यम से उचित माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। निर्दिष्ट समय सीमा अर्थात 27.07.2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. प्रत्येक नामांकित अभ्यर्थी की विधिवत रूप से पूर्ण एवं हस्ताक्षरित व्यक्तिगत इतिहास प्रोफाइल (पी-11), शैक्षणिक एवं रोजगार का प्रमाणीकरण (ईएसी), तथा मानव अधिकार प्रमाण पत्र के साथ पिछले पांच वर्षों की एपीएआर/एसीआर ग्रेडिंग (केवल ग्रेडिंग, एसीआर की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं) सहित अग्रेषण पत्र को अलग-अलग फाइलों (केवल पीडीएफ प्रारूप में) में ई-मेल के माध्यम से police2-un@mha.gov.in पर अंतिम तिथि अर्थात् 27.07.2025 से पहले जमा करना आवश्यक है।

5. डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, सभी आवश्यक दस्तावेज केवल डिजिटल मोड में (उपर्युक्त ईमेल पर) भेजे जाने हैं तथा किसी हार्ड/भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं है।

भवदीया,

जूही वर्मा

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(जूही वर्मा)
निदेशक (कार्मिक-समन्वय)
23093301

प्रतिलिपि : -

1. केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्तः-कृपया ध्यान दें कि नामांकन केवल केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं।
2. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर के पुलिस आयुक्तः-कृपया ध्यान दें कि नामांकन केवल संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से ही भेजे जाने हैं।
3. संयुक्त सचिव (यू. एन. पी.), एम. ई. ए., जे. एन. बी. (ए-विंग), नई दिल्ली-110011
4. उप सचिव (Police-I), गृह मंत्रालय
5. एसओ (आईटी), गृह मंत्रालय - उपरोक्त संचार को गृह मंत्रालय की वेबसाइट (पुलिस डिवीजन-II (सेकेंडमेंट रिक्तियों) और "क्या नया है" के तहत अपलोड करने के अनुरोध के साथ।